

प्रपत्र - 'ई'

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट

एक पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु पर परिवार पेंशन के अनुदान के लिए आवेदन का फार्म,

1. आवेदक का नाम

i) विधवा/विधुर

ii) संरक्षक यदि मृतक पेंशनर एक बच्चा या बच्चे हैं।

2. जीवित विधवा/विधुर और मृतक कर्मचारी/पेंशनर के बच्चों का नाम और आयु

क्र. सं	नाम	मृतक व्यक्ति के साथ संबंध	ईसाई युग से जन्म की तारीख
1.			
2.			
3.			

3. कर्मचारी/पेंशनर की मृत्यु की तिथि

4. अनुभाग/विभाग जिसमें मृतक/पेंशनभोगी कर्मचारी ने आखिर में कार्य किया।

5. यदि संरक्षक आवेदक है, तो उसकी जन्म तिथि और आवेदक मृतक कर्मचारी/पेंशनर के साथ संबंध

5.ए) यदि आवेदक विधवा/विधुर है सेवा पेंशन की राशि जो वह पति/पत्नी के मृत्यु की तिथि पर प्राप्त कर सकते हैं।

6. आवेदक का पूर्ण पता

7. संलग्नक:

i) दो अलग शीट्स में प्रस्तुत करने के लिए अनुप्रमाणित आवेदक के दो नमूना हस्ताक्षर

ii) आवेदक की पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां विधिवत अनुप्रमाणित

iii) आवेदक के बाएँ हाथ के अंगूठे और उंगली छापों की प्रत्येक की दो स्लिप विधिवत अनुप्रमाणित।

iii/ए) पेंशन कार्ड (मृत कर्मचारी का मूल)

iii/बी) एक राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा आवेदक का गैर रोजगार और गैर पुनर्विवाह प्रमाण पत्र

iii/सी) बैंक विकल्प और जीवन प्रमाण-पत्र

iii/डी) मृतक कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र

iv) (सत्यापित प्रति) आवेदक का वर्णनात्मक रोल, विधिवत अनुप्रमाणित (क) ऊँचाई और व्यक्तिगत चिन्ह, यदि हाथ, चेहरे आदि पर कोई है। (दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

v) बच्चों की जन्म तिथि को दर्शाते हुए आयु का प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रतियों के साथ मूल)। प्रमाण-पत्र नगर निगम के अधिकारियों से या आंचल पंचायत या मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रमुख यदि बच्चा ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है। (यह जानकारी ऐसे बच्चे या बच्चों के संबंध में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसकी जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है।)

vi) संपर्क टेलीफोन नं. :-

आवेदक के हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप

क्र. सं	नाम	पूरा पता	तिथि और मुहर के साथ हस्ताक्षर
---------	-----	----------	-------------------------------

1.

2.

गवाह:

1.

2.

अनुप्रमाणन निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी दो द्वारा किया जाना चाहिए (क) राजपत्रित सरकारी अधिकारी (ख)

मेजर पोर्ट ट्रस्ट का एक वर्ग-। या वर्ग-।। अधिकारी (ग) पंचायत का आंचल प्रबोधन या नगर पालिका का स्थानीय पार्षद जहां आवेदक रहता है।